

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उ०प्र०।

पत्र संख्या:-एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./डीवीडीएमएस/2016-17/66ए/

6787-75 दिनांक 20/9/18

विषय- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में DVDMS Application को ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईयों पर संचालन हेतु इन्टरनेट कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि डी०वी०डी०एम०एस० परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों (सी०एम०ओ० भण्डार/स्टोर) एवं चिकित्सालयों के अन्तर्गत क्रियाशील औषधि भण्डार/स्टोर में डी०वी०डी०एम०एस० साफ्टवेयर को क्रियाशील किया जा चुका है। परियोजना के द्वितीय चरण में उक्त डी०वी०डी०एम०एस० साफ्टवेयर को प्रदेश के 820 ब्लॉकों पर सी०एम०ओ० स्तर पर भी लागू किया जाना है। उक्त के क्रम में पत्र संख्या:-एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./डीवीडीएमएस/2018-19/66ए/ 3516-75 दिनांक 26.06.2018 के माध्यम से प्रदेश के 820 ब्लॉक में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू०पी०एस० के क्रय एवं स्थापित किये जाने हेतु रु० 451.00 लाख की धनराशि अवमुक्त एवं दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बेवासाइट पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार स्तर से आर०ओ०पी० 2018-19 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद B.15.3.3.1 Implementation of DVDMS हेतु ब्लॉक स्तर पर हेतु कुल रु० 204.86 लाख का बजट निम्नानुसार स्वीकृत किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

FMR Code	Budget Head	Amount Approved (Rs. In Lakhs)	GOI remarks
New FMR Code: 14.2.2 (Old FMR Code: B15.3.3.1)	Implementation of DVDMS	204.86	Approved Rs 106.60 Lakh for combined training-cum-review meeting and internet connectivity for DVDMS as per the following details: (i) Rs 8.20 Lakh for 1 District level 1 day combined training-cum-review meeting for DVDMS for 820 Blocks. Expenses should be as per extant norms and by following relevant rules. (ii) Rs 98.40 Lakh for internet connectivity @ Rs 1,000/- per Block per month for 820 Blocks. This is subject to 100% reporting on DVDMS and improvement in data quality thereof. These are indicative rates. Final rates are to be arrived at as per DGS & D rate contract or after competitive bidding following Government protocols.

उपरोक्त के क्रम में ब्लॉक इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु (Internet connectivity@Rs.1000 per Block per month for 820 Blocks@98.40) रु० 57.40 लाख की धनराशि रु० 1,000/- प्रति ब्लॉक प्रति माह की दर से 07 माह हेतु जनपदवार फॉट समस्त जनपदों को स्वीकृत की जा रही है। जिसका व्यय जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं DHAP के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा:-

14.2.2 : Internet connectivity for Block level DVDMS Computer System (FMR code B.15.3.3.1)

Sl.	Division	District	No. of Block	Amount per month	Amount proposed for 07 months of FY 2018-19 i.e. 01 Sep, 2018-31 March 2019
1	Agra	Agra	15	1000	105000.00
2	Agra	Firozabad	9	1000	63000.00
3	Agra	Mainpuri	9	1000	63000.00
4	Agra	Mathura	10	1000	70000.00
5	Aligarh	Aligarh	12	1000	84000.00
6	Aligarh	Etah	8	1000	56000.00
7	Aligarh	Hathras	7	1000	49000.00

8	Aligarh	Kashganj	7	1000	49000.00
9	Allahabad	Allahabad	20	1000	140000.00
10	Allahabad	Fatehpur	13	1000	91000.00
11	Allahabad	Kaushambi	8	1000	56000.00
12	Allahabad	Pratapgarh	17	1000	119000.00
13	Azamgarh	Azamgarh	22	1000	154000.00
14	Azamgarh	Ballia	17	1000	119000.00
15	Azamgarh	Mau	9	1000	63000.00
16	Bareilly	Bareilly	15	1000	105000.00
17	Bareilly	Budaun	15	1000	105000.00
18	Bareilly	Pilibhit	7	1000	49000.00
19	Bareilly	Shahjahanpur	15	1000	105000.00
20	Basti	Basti	14	1000	98000.00
21	Basti	Sant K Nagar	9	1000	63000.00
22	Basti	Siddharth N	14	1000	98000.00
23	Chitrakoot	Banda	8	1000	56000.00
24	Chitrakoot	Chitrakoot	5	1000	35000.00
25	Chitrakoot	Hamirpur	7	1000	49000.00
26	Chitrakoot	Mahoba	4	1000	28000.00
27	Devipatan	Bahraich	14	1000	98000.00
28	Devipatan	Balrampur	9	1000	63000.00
29	Devipatan	Gonda	16	1000	112000.00
30	Devipatan	Shrawasti	5	1000	35000.00
31	Faizabad	Ambedkar N	9	1000	63000.00
32	Faizabad	Amethi	13	1000	91000.00
33	Faizabad	Barabanki	15	1000	105000.00
34	Faizabad	Faizabad	11	1000	77000.00
35	Faizabad	Sultanpur	13	1000	91000.00
36	Gorakhpur	Deoria	16	1000	112000.00
37	Gorakhpur	Gorakhpur	19	1000	133000.00
38	Gorakhpur	Kushinagar	14	1000	98000.00
39	Gorakhpur	Maharajganj	12	1000	84000.00
40	Jhansi	Jalaun	9	1000	63000.00
41	Jhansi	Jhansi	8	1000	56000.00
42	Jhansi	Lalitpur	6	1000	42000.00
43	Kanpur	Farrukhabad	7	1000	49000.00
44	Kanpur	Auraiya	7	1000	49000.00
45	Kanpur	Etawah	8	1000	56000.00
46	Kanpur	Kannauj	8	1000	56000.00
47	Kanpur	Kanpur Dehat	10	1000	70000.00
48	Kanpur	Kanpur Nagar	10	1000	70000.00
49	Lucknow	Hardoi	19	1000	133000.00
50	Lucknow	Lakhimpur K	15	1000	105000.00
51	Lucknow	Lucknow	08	1000	56000.00
52	Lucknow	Rae Bareli	18	1000	126000.00
53	Lucknow	Sitapur	19	1000	133000.00
54	Lucknow	Unnav	16	1000	112000.00
55	Meerut	Bagpat	6	1000	42000.00
56	Meerut	Bulandshahar	16	1000	112000.00
57	Meerut	G B Nagar	4	1000	28000.00
58	Meerut	Ghaziabad	4	1000	28000.00
59	Meerut	Hapur	4	1000	28000.00
60	Meerut	Meerut	12	1000	84000.00
61	Mirzapur	Mirzapur	12	1000	84000.00
62	Mirzapur	Sonbhadra	8	1000	56000.00
63	Mirzapur	SRavidas N	6	1000	42000.00

64	Moradabad	Bijnor	11	1000	77000.00
65	Moradabad	JP Nagar	6	1000	42000.00
66	Moradabad	Moradabad	8	1000	56000.00
67	Moradabad	Rampur	6	1000	42000.00
68	Moradabad	Sambhal	8	1000	56000.00
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	9	1000	63000.00
70	Saharanpur	Saharanpur	11	1000	77000.00
71	Saharanpur	Shamli	5	1000	35000.00
72	Varanasi	Chandauli	9	1000	63000.00
73	Varanasi	Ghazipur	16	1000	112000.00
74	Varanasi	Jaunpur	21	1000	147000.00
75	Varanasi	Varanasi	8	1000	56000.00
		Total	820		5,74,0000.00

उपरोक्त धनराशि ब्लाक स्तर पर डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर के अन्तर्गत कार्य करने हेतु इन्टरनेट को उपयोगित करने के लिए अवमुक्त की जा रही है, राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर पर डाटा फीडिंग सम्बंधी कार्य फार्मासिस्ट अथवा उक्त कार्य हेतु अधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाना है। भारत सरकार स्तर से परियोजना संचालन हेतु पृथक से मानव संसाधन की स्वीकृत नहीं की गयी है, अतः सम्बन्धित ब्लाक में डी0वी0डी0एम0एस0 साफ्टवेयर पर डाटा फीडिंग सम्बंधी कार्य ससमय निष्पादित किये जाने की पूर्ण रूपेण जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

व्यय सम्बन्धी दिशा-निर्देश -

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार B15.3.3.1 (Implementation of DVDMS) मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या:-एस.पी.एम.यू./एम.आई.एस./डीवीडीएमएस/2016-17/66ए/

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड।
5. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
6. अधिशासी निदेशक, तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र०।
9. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एन०एच०एम०, को इस आशय से कि प्रेषित पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
11. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।

(बी०के० जैन)

महाप्रबन्धक (एम०आई०एस०)